बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया

(जकात फाउण्डेशन आफ इंडिया की इकाई)

ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दुनिया के सभी मुसलमान हाजी बन जाएं। हमेशा कुछ चुनिन्दा लोग ही हज को जाते हैं और जा सकते हैं। यह अल्लाह का नियम है। हालांकि हमारी दुआ है कि अल्लाह आप को उन चुनिन्दा लोगों में शामिल करे जिन्हें हज करना नसीब होता है।

हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया (एच.एफ़.आई.) हज के लिए बचत करने की आपकी अहम मज़हबी ज़रूरत को पूरा करने की एक कोशिश है। इसके माध्यम से हम आप को हज के लिए पैसे जोड़ने की सूद से पाक व्यवस्था करते हैं।

हज का ख़र्च साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। एक औसत अंदाज़े के अनुसार हज की नियत रखने वाले एक आदमी/ औरत को लगभग सात या आठ साल तक पैसे जोड़ने पड़ते हैं। इस के लिए हम हिन्दुस्तानी मुसलमान आम तौर से अपने पुराने ढंग से कुछ पैसे बचा बचा कर जमा करते रहते हैं। बिस्तर के नीचे, तकियों के अन्दर, किसी बर्तन में या फिर बैंक के लॉकर में पैसे डालते रहने का तरीक़ा हमारे यहां प्रचलित है। हम इसे एक सुरक्षित तरीक़ा भी समझते हैं और यह भी मान कर चलते हैं कि इस तरह सूद (ब्याज़) की मिलावट से बचते हुए पाक तरीक़े से हमारी रक़म हमारी इबादत के लिए जमा हो रही है।
हम में से अधिकतर लोग बैंक के बचत खातों में हज के लिए पैसे जमा करना पसन्द नहीं करते क्योंकि इस स्थिति में इस पैसे का स्तेमाल बैंक ब्याज आधारित लेन-देन में करते हैं और हमारे बचत खाते में ब्याज़ की इण्ट्री होती रहती है जो कि शरीअत में सख़्ती से मना है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि आज के ज़माने में बैंक के अतिरिक्त कोई दूसरी जगह बैंक की तरह सुरक्षित भी नहीं है जहां हमारी रक़म नष्ट हो जाने की कोई आशंका ही न हो।

हज के लिए बचत को सामाजिक कल्याण के लिए भी लगाया जा सकता है
अगर हम हज के लिए जमा की जाने वाली रक़म का अंदाज़ा लगाएं तो हमें पता चलेगा कि एक अपार रक़म जो हज की नियत से लोगों के पास जमा होती है, एक लम्बे समय तक जाम रहती है और उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती क्योंकि उसका उपयोग किसी कारोबारी काम में नहीं होता। जबकि किसी रक़म या दौलत का ठिठर कर जाम रहना इस्लाम की आर्थिक शिक्षाओं के हिसाब से ठीक नहीं है। क्योंकि इस्लामी शिक्षाएं माल को संचालन में रखने का आदेश देती हैं ताकि उसमें बढ़ोतरी होती रहे और उसका फ़ायदा हमारी सामूहिक आर्थिक व्यवस्था को पहुंचता रहे।

हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया इन समस्याओं का एक उचित समाधान पेश करता है और एक एसे तरीक़े से हज के लिए बचत करने की व्यवस्था देता है जिस में हज के लिए आप की बचत हज से पहले भी नेक काम में लगी रहे और उसका सवाब आप को पहुंचता रहे। फिर जब आपकी रक़म पूरी हो जाए तो आप हज का फ़र्ज़ अदा करने की नियत पूरी कर लें। यह फ़ण्ड आपकी बचत को सुरक्षित रखने और उसे नेक काम में इस्तेमाल करने वाली एक एजेण्सी की तरह काम करने वाली सस्था है। इस संस्था को क़ानूनी बैधता प्राप्त है।

हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया में कोई भी हिन्दुस्तानी मुसलमान अपना हज खाता खोल सकता है। इस हज खाते में 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 या इससे अधिक राशि इसी अनुपात में कभी भी जमा की सकती है, कोई अन्तिम सीमा नहीं है। आप जितनी क़िस्तों में और जब चाहें रक़म जमा कर सकते हैं।

हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया में रक़म जमा करने का तरीक़ा

हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया के नाम उसके बैंक अकाउण्ट (बैंक आफ़ इण्डिया अकाउण्ट न. 603020110000239) में आप देश में कहीं भी बैंक आफ़ इण्डिया की किसी भी ब्रांच में ड्राफ़्ट, केश, या चैक जमा कर सकते हैं।

अपना पूरा नाम, पता और फ़ोन नम्बर ड्राफ़्ट या चैक के पीछे ज़रूर लिखें। चैक या ड्राफ़्ट की दो कापियां फ़ोटो स्टेट करा लें। फिर हज फ़ण्ड आफ़ इण्डिया का एकाउण्ट ओपिनिंग फ़ार्म (HFI-A) भरें और अपने चैक या ड्राफ़्ट की फ़ोटो कापी के साथ लगाकर उसे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए निम्न पते पर भेजेः

CEO – Haj Fund of India, CISRS House, 14 Jangpura B, Mathura Road, New Delhi 110014

हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया से रक़म की निकासी

जब आप हज के सफ़र पर जाने की तैयारी कर लें तो हज फ़ण्ड आफ़ इण्ड़िया के अपने खाते से रक़म निकालना आपके लिए बिल्कुल आसान है। इसके लिए आप निर्धारित फ़ार्म (HFI-B) भर कर डाक द्वारा भेज कर या ख़ुद आकर जमा करें। हम हज कमेटी या आपके ट्रेविल एजेण्ट के नाम चैक जारी कर देंगे। यह चैक आपके पते पर हम डाक/रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं या आप चाहें तो ख़ुद आकर भी ले सकते हैं।

हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया के स्तेमाल मिल्लत के भले के लिए

हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया की एक शरीअत एडवॉयज़री काउंसिल है जो उसके वित्तीय मामलों की निगरानी करती है और उसे सलाह व मशौरा देती है। हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया का मक़सद शरई रूप से जायज़ इन्वेस्टमेण्ट प्रोजेक्ट में रक़म लगाना और उसके नफ़े से मिल्लत की तरक़्क़ी के काम अंजाम देना है। हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया अपने पास सुरक्षित रक़म का कुछ भाग ग़रीब ज़रूरतमन्दों को कम समय के लिए छोटे छोटे क़र्ज़ जारी करने में लगाता है। जैसे रिक्शा चालकों को ब्याजमुक्त आसान क़िस्तों पर रिक्शा दिलाना। इस तरह एक ग़रीब रिक्शा चालक किराए की रिक्शा चलाकर रोज़ाना किराया अदा करने के बजाए रोज़ाना अपने क़र्ज़ खाते में कुछ रक़म जमा करके रिक्शा का मालिक बन जाता है। इस तरह के क़र्ज़ों की मुद्दत हज फ़ण्ड आफ़ इण्डिया ने छः महीने रखी है।

इसके अतिरिक्त हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया अपने जमा कर्ताओं की सहमति से ज़कात की अदायगी के लिए ज़कात फ़ाउण्डेशन आफ़ इण्डिया को भी रक़म उपलब्ध कराता है। ज़कात फ़ाउण्डेशन आफ़ इण्डिया ज़कात की निर्धारित मदों में दीन व मिल्लत की ज़रूरतों के लिए रक़म ख़र्च करता है। इस तरह हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया में रक़म जमा करने वाले जमा कर्ता को इस नेक काम का सवाब मिलता रहता है।

इस तरह हज के लिए आप की पाकीज़ा बचत आप के लिए अतिरिक्त सवाब का माध्यम बनती है। हज का यह पाठ कि मिल्लत का हित व्यक्ति के हित से उपर है, एक अच्छे अंदाज़ में पूरा होता है और आख़िरत में अच्छे बदले का ज़रिया बनता है।

हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया देश के मुसलमानों को यह प्रेरणा देता है कि वे नौजवानी में ही हज का फ़र्ज़ अदा करने की नियत करके उसके लिए बचत करना शुरू कर दें और जल्द से जल्द हज करने की कोशिश करें। मुस्लिम समाज का हर वर्ग हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया में अपना एकाउण्ट खोल कर आज़िमीन-ए-हज (हज का इरादा रखने वालों) में ख़ुद को शामिल करने की सआदत हासिल कर सकता है।

हज से सम्बन्धित आर्थिक गतिविधियां हमेशा से सम्पन्नता को बढ़ाने का माध्यम बनती रही हैं। आज की ग्लोबल आर्थिक व्यवस्था में हज से जुड़ी सम्भावनाओं को अगर सही ढंग से काम में लाया जाए तो यह मिल्लत के फ़ायदे का एक अहम ज़रिया बन सकती हैं।

हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया इस बात का एक नमूना है कि इस्लामी तालीमात को आज के नवीन युग में किस तरह लागू किया जा सकता है और यह कि अगर उन्हें लागू किया जाए तो यह किस तरह मुस्लिम उम्मत के लिए लाभकारी हो सकती हैं।

पॉलिसी स्टेटमेण्ट

1. हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया में हज खाता खोलने के लिए हिन्दुस्तान के हर मुस्लिम नागरिक (मर्द व औरत) का स्वागत है। इच्छा रखने वाला हर व्यक्ति अपनी आयु, लिंग या किसी भी दूसरी पहचान से ऊपर ख़ुद अपने नाम से या किसी दूसरे हिन्दुस्तानी मुस्लिम नागरिक के नाम से खाता खोल सकता है। (स्पष्टीकरणः इस धारा में हिन्दुस्तानी नागरिकों में हिन्दुस्तान के अनिवासी नागरिक (NRIs) भी शामिल हैं जैसा कि भारत के आम क़ानून में समझा जाता है)
2. जिस व्यक्ति के नाम पर एकाउण्ट खोला जाएगा उसे हज एकाउण्ट होल्डर (HAH) के नाम से पहचाना जाएगा।
3. एच.ए.एच. के अलावा किसी हज एकाउण्ट में पैसे जमा करने वाले व्यक्ति को हज एकाउण्ट डिपॉज़िटर (HAD) कहा जाएगा।
4. एच.ए.एच. या एच.ए.डी. के द्वारा 1000 रुपेय जमा करके हज एकाउण्ट खोला जा सकता है।
5. किसी हज एकाउण्ट में एच.ए.एच. या एच.ए.डी. नियमित रूप से (अच्छा है कि हर महीने) एक हज़ार, दो हज़ार, तीन हज़ार, चार हज़ार, पांच हज़ार या उससे अधिक कुछ भी रक़म जो इसी अनुपात में हो, अपनी सुविधा अनुसार जमा कर सकते हैं।
6. किसी भी हज एकाउण्ट में एक लाख, एक हज़ार (101,000) की राशि जमा हो चुकने के बाद (क़ीमतों में उतार चढ़ाव के कारण इस राशि निर्धारण में कमी या बढ़ोतरी का अधिकार ज़कात फ़ाउण्डेशन आफ़ इण्डिया के बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ को होगा) हज एकाउण्ट होल्डर हज पर जाने के लिए एक लाख रूपेय निकाल सकते हैं।
7. समय आने पर अगर हज एकाउण्ट होल्डर हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया के नियमों के अनुसार रक़म निकालने का आवेदन करें तो हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया हज फ़ण्ड होल्डर को या उनके कहने पर सैण्ट्रल हज कमेटी, राज्य हज कमेटी या ट्रेविल एजेण्ट को तुरन्त रक़म जारी करने की पाबन्द है।
8. किन्तु कम से कम 1000 रूपेय का क्रेडिट बैलेंस हज फ़ण्ड आफ़ इण्डिया में खाता खुला रखने के लिए ज़रूरी है।
9. एच.ए.एच. द्वारा हज कर लिए जाने के बाद भी एच.ए.एच. या एच.ए.डी. की इच्छा पर हज एकाउण्ट में रक़म जमा करने का सिलसिला जारी रखा जा सकता है।
10. हज एकाउण्ट में एच.ए.एच. का क्रेडिट बैलेंस बढ़ जाने की निम्न स्थितियों मेः-
(i) एक लाख इक्कीस हज़ार (121,000) हो जाने पर, अभी हज न किए जाने की स्थिति में या
(ii) 21,000 हो जाने पर, हज कर लेने के बाद,
हज एकाउण्ट होल्डर 20,000 रुपेय हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया में अपने हज एकाउण्ट से निकालने का पात्र होगा।
(इस धारा में उल्लिखित रक़म में क़ीमतों में उतार चढ़ाव के कारण कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार ज़कात फ़ाउण्डेशन ऑफ़ इण्डिया के बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ को होगा।)
11. धारा 6,7,10 में उल्लिखित स्थितियों में से किसी भी स्थिति में हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया से रक़म निकाल लिए जाने के बाद कोई हज एकाउण्ट होल्डर या हज एकाउण्ट डिपॉज़िटर अगर फिर से हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया में रक़म जमा करना

चाहें तो हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया इस प्रस्तुति का स्वागत करेगा और एच.ए.एच. या एच.ए.डी. एक या अधिक क़िस्तों में जैसे चाहें रक़म फिर से जमा कर सकते हैं।

12. (अ) ज़कात फ़ाउण्डेशन ऑफ़ इण्डिया हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया में जमा रक़म को (अधिकतम पचास प्रतिशत) कभी भी निम्न कामों में इस्तेमाल में लाने का अधिकार रखेगाः

1) ग़रीब या ज़रूरतमन्द की मदद के लिए (ज़कात फ़ाउण्डेशन आफ़ इण्डिया के मैमोरेण्डम के मुताबिक़), या

2) उलेमा व मुफ़्ती साहिबान के मशौरे से शरीअत के मुताबिक़ इन्वेस्ट करने के लिए

12.(ब) एसे किसी भी इन्वेस्टमेण्ट से होने वाले नुक़सान की भरपाई की ज़िम्मेदारी ज़कात फ़ाउण्डेशन आफ़ इण्डिया की होगी, उसकी कोई ज़िम्मेदारी एच.ए.एच. पर नहीं डाली जाएगी। यदि कोई एकाउण्ट होल्डर अपनी इच्छा से इस भरपाई में भाग लेना चाहे तो उसे स्वीकार किया जाएगा।

13. हर एकाउण्ट होल्डर कभी भी अपने एकाउण्ट की जानकारी ऑन लाइन या व्यक्तिगत रूप से उसके लिए आवेदन करके और निर्धारित ढंग से लेने का अधिकारी होगा।

14. हज फ़ण्ड ऑफ़ इण्डिया के ख़ास ख़ास मामलों की रिपोर्ट ज़कात फ़ाउण्डेशन ऑफ़ इण्डिया की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

15. इस सेवा को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रस्तावों व मशवरों का स्वागत है। उपयुक्त प्रस्तावों व मशवरों पर अमल करके हम इसे अधिक से अधिक लाभकारी और शरीअत के अनुसार बनाने की कोशिश करेंगे।